न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 375 / 2012

उनवान

1. मांगी लाल पिता रामा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. भैरू पिता हरू गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. गंगाराम पिता रामा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. श्रीमती नानी देवी पत्नी रामा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा(नाम डिलिट 19.12.2017)

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. भोजाराम पिता गोरधन गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. श्रीमती गलकु देवी गेलड संतान गोरधन गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द (नाम डिलिट 19.12.17)
3. शंभू पिता रामा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. हरदेव पिता नंदा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. मेवा पिता नंदा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
6. जसू पुत्री नंदा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
7. कंकु पुत्री नंदा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. उदा पिता जगू गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
9. बरजी पत्नी जगू गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द (नाम डिलिट दिनांक 19.12.2017)
10. उप पंजीयक, आसीन्द
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 135/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.10.2012

अधिवक्तागण :–

1. श्री भैरू लाल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री एस एल आगाल, अधिवक्ता प्रत्यर्थी 1 से 9
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आसीन्द के तत्कालीन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 1984 की आराजी नम्बर 42/2 रकबा 112 बीघा 18 बिस्वा, व आराजी नम्बर 47/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 115 बीघा 09 बिस्वा खातेदार गंगाराम वल्द भैरा , धन्ना वल्द गैना, बीरमा वल्द राजा, बागा वल्द काना, सरदारा वल्द बागा, बाल्या वल्द जीता गुर्जर के नाम राजस्व रेकार्ड में बराबर बराबर हक हिस्से से खातेदारी हक से संयुक्त दर्ज थी। खातेदार धन्ना वल्द गैना का 1/6 हिस्सा दर्ज था जो गैना से विरासत से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्राप्त हुई। धन्ना गैना का सबसे बडा पुत्र होने के आधार पर समस्त आराजियात धन्ना के नाम पर ही दर्ज हुई। धन्ना व गोरधनसगे भाई थे तथा धन्ना के देहान्त के पश्चात आराजियात विरासत से कालू के नाम व कालू के देहान्त के बाद खमाण पिता कालू के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई तथा खमाण ला औलाद फौत हुआ जिसका विरासत से खाता रामा, भोजा व गलकु के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु रामा ने राजस्व कार्मिकों एवं ग्राम पंचायत दांतडा से मिलीभगत कर वादीगण को नुकसान पहॅूचाने की गरज से नामान्तरकरण संख्या 1894 दिनांक 28.1.1985 के जरिये अपने अकेले के नाम पर आराजियात को दर्ज करा लिया जब कि वादीगण भी खमाण पिता कालू की आराजियात में रामा के साथ–साथ बराबर–बराबर के हिस्सेदार हैं जिसे राजस्व रेकार्ड में रामा के वारिसान के साथ 2/3 हिस्से से खातेदार घोषित कराये जाने के अधिकारी है। एवं विवादित आराजियात के हाल सेटलमेण्ट में नये नम्बर 1951 से 1954, 1976 से 1982 तक एवं 1992 से 2047 तक व आराजी नम्बर 2032/6977, 2032/7016, 22040/7017, 2423, 2424 कुल किता 72 कुल रकबा 19.52 है0 कायम किये गये । जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक का 1/7 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त 1/7 हिस्से में से 2/3 हिस्से को खातेदारी के रूप में घोषित करा राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम दर्ज कराये जाने के अधिकारी हैं तथा वादीगण अपनी पुश्तैनी आराजियात जो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक के नाम दर्ज है पर अपना हिस्सा 2/3 भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक द्वारा भूमि राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज होने के कारण वादीगण को अपनी पुश्तैनी कब्जे काश्त की आराजियात से जबरन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
शीलवाड़ा

बेदखल करने पर आमादा है जिन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना फरमावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एंवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि संवत 2033 से 2036 की जमाबंदी में कालू पिता धन्ना गुर्जर व अन्य खातेदारान के संयुक्त खाते में साबिक आराजी नम्बर 42/2 रकबा 1112 बीघा 18 बिस्वा व आराजी नम्बर 47/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 115 बीघा 9 बिस्वा ग्राम आसीन्द में दर्ज थी। जिसमें कालू पिता धन्ना गुर्जर का 1/7 हिस्सा दर्ज थी। यह भूमि खाते में अंकित खातेदारान को शामलाती रूप से आवंटित हुई थी। विरासत से प्राप्त नहीं हुई है। कालू जी के पुत्र खमाण पैदा हुआ जिसकी मृत्यु हो गई। जिसे कालू की सेवा चाकरी रामा जी ने ही की थी। जिससे कालू जी ने रामा जी को जाति रस्म अनुसार विधिवत तरीके से गोद रख लिया । जिससे कालू जी के देहान्त के बाद सन् 1985 में दिनांक 28.1.1985 को इन्तकाल नम्बर 1894 से कालू जी की विरासत से अपीलार्थीगण मांगीलाल वगैरह के पिता जी रामा जी के नाम पर यह भूमि दर्ज हो गई। यद्यपि नामान्तरकरण में रामा जी के पिताजी का नाम गोरधन जी लिख दिया गया जबकि वे कालू जी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गोद चले गये थे। गोरधन जी की सारी भूमि भोजा के नाम पर दर्ज हो गई। जिसे उसने बेच दिया है। वादीगण ने वाद पत्र में गलकू देवी को गोरधन जी की पुत्री बताया है जो सर्वथा गलत है । क्योंकि गलकू गेलड के रूप में चांदरास से अपनी माता करमी के साथ आई थी । गलकू के जायंदा पिता जो कि चांदरास के रहने वाले हैं उनकी गौत्र चवाण है जबकि गोरधन जी की गौत्र तेडवा है। करमी को गोरधन जी ने नाते रख लिया था जिनके रामा, देवा व भोजा उत्पन्न हुए। देवा ला औलाद फौत हो गया । रामा जी के फौत होने पर उनके नाम की उक्त भूमि इंतकाल नम्बर 2212 दिनांक 16.6.1992 से मागी लाल, हरीराम, गंगाराम, शंभू लाल पिता रामा व मु0 नानी बेवा रामा के नाम पर 1/7 हिस्से से दर्ज हो गई। हरिराम मर गया है उसका पुत्र भैरू है जो अपीलार्थी संख्या 2 है। उक्त साबिक आराजियात के नवीन बन्दोबस्त में आराजी संख्या 1951 से 1954 , 1976 से 1982,, 1992 से 2047 तक व आराजी संख्या 2032/6977, 2032/7016, 2040/70717, 2423 व 2424 कुल किता72 रकबा 19.5200 कायम किये गये । इन आराजियात के 2/3 हक हिस्से का खातेदार वादीगण भोजा पिता गोरधन व श्रीमती गलकू निवासी बागा का खेडा आसीन्दको घोषित कराने हेतु वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादीगण के नाम पर दिनांक 21.6.2012 की पेशी के सम्मन जारी किये गये। दिनांक 21.6.2012 की पेशी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 की ओर से अधिकार पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया इसके साथ ही आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया व आगामी तारीख पेशी 16.8.2012 को मुकर्रर की गई। दिनांक 16.8.2012 की पेशी पर बार संघ द्वारा पैरवी कार्य स्थगित रखे जाने से दिनांक 29.10.2012 की पेशी प्रकरण में नियत की गई। जो वकील प्रतिवादीगण ने अपनी डायरी में अंकित की थी। कुछ दिनों बाद में किसी दुराशय से इस वाद पत्र की ऑर्डरशीट ही बदली जाकर नई ऑर्डरशीट लिख दी गई और पहले दी गई पेशी दिनांक 29.10.2012 के स्थान पर नई पेशी दिनांक 17.9.2012 की लगादी गई जिसकी कोई सूचना प्रतिवादीगण और उनके अधिवक्ता का नहीं दी गई। दिनांक 17.9.2012 को प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई और दिनांक 21.6.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को खारिज कर दिया गया और प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया और मिसल वास्ते साक्ष्य वादीगण दिनांक 3.10.2012 की पेशी हतु नियत कर दी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि 3.10.2012 की पेशी पर वादीगण द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और वकील वादीगण की इस्तदुआ पर बहस सुनी जाकर वादीगण का वाद पत्र एकतरफा रूप से डिक्री करदिया गया और अपीलार्थी खातेदारान मांगी लाल हरि राम, गंगाराम पिता रामा व मु0 नानी बेवा रामा और प्रत्यर्थी शंभू लाल पिता रामा जी (शंभू लाल अपील पेश करने नहीं आ सका उसे प्रत्यर्थी बनाया गया है) के 1/7 हिस्से में वादीगण गोरधन व गलकू को 2/3 हिस्से से खातेदार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काश्तकार घोषित कर दिया गया और प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्दकर दिया गया कि वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करें न करावें, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है और न आज ही है फिर भी उनके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करना सरासर अवैध है। क्योंकि कब्जे बाबत कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं हुई है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दुराशयपूर्वक तरीके से आदेशिका बदली जाकर व पहले नियत तारीख के स्थान पर नई आदेशिका में अन्य तारीख नियत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गई जिससे अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के साथ भारी अन्याय हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये थे। वादीगण की साक्ष्य में प्रकरण नियत होने के उपरान्त वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने को बावजूद बिना किसी साक्ष्य के वादी का वाद स्वीकार कर दिया है और अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज भूमि में से 2/3 हक हिस्से की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया ।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 22.5.2012 व शपथ पत्र पर अकेले भोजाराम की निशानी लगी हुई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादीगण द्वारा प्रस्तुत अधिकार पत्र पर भी अकेले भोजाराम की निशानी लगी हुई है। गलकू का हस्ताक्षर भी न तो वाद पत्र पर है एवं न ही अधिकार पत्र पर है। गलकू गेलड के रूप में गोरधन जी के यहॉ पर आई थी। केवल मात्र वाद पत्र के टाईटल में नाम लिख दिये जाने से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। गोरधन जी के कोई जायन्दा पुत्री है ही नहीं है । उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त येाग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

7. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से साक्ष्य को भलीभॉति साबित कराया गया है। अपीलार्थी/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। उनके अधिवक्ता नियुक्त हुए है। प्रकरण में प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा बहस सुनी गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का निवेदन है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था। जिससे वे अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। अधिनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का निस्तारण भी नहीं किया गया है। दिनांक 21.62012 को प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 16.8.2012 नियत की गई थी परन्तु दिनांक 16.8.2012 को प्रकरण में किसी प्रकार की आदेशिका नहीं लिखी गई थी एवं न ही तारीख पेशी बदलने की सूचना अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा दी गई है। प्रकरण में गलकू के वादपत्र पर हस्ताक्षर नहीं है एवं न ही अधिकार पत्र पर ही हस्ताक्षर है उसके बावजूद उसके पक्ष में वाद पत्र स्वीकार करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भारी विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

9. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन किया गया । प्रकरण दिनांक 22.5.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.6. 2012 नियत की गई एवं विपक्षी को सम्मन जारी करने के निर्देश दिये गये है। आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.6.2012 को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत कया गया । साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का भी प्रस्तुत किया गया । जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.8.2012 नियत की गई । उक्त दिनांक को बार संघ द्वारा हडताल के अन्य प्रकरण में कार्यवाही नहीं होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.9.2012 नियत की गई। जबकि अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि दिनांक 16.8. 2012 को प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 29.10.2012

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियत की गई थी। परन्तु आदेशिका से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

10. प्रकरण मे अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 21.6.2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन था। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण लंबित था। जिस पर वादीगण को सुना जाना था। विधिवत कार्यवाही अपनाई जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिये था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

11. अधिनस्थ न्यायालय में संलग्न जमाबंदी संवत 2064 से 2067 के अवलोकन से यह तथ्य भलीभॉति स्पष्ट है कि मांगू पिता खमाण गुर्जर का हिस्सा सहकारी भूमि विकास बैक शाखा आसीन्द के यहॉ रहन रखा हुआ था परन्तु वादग्रस्त आराजियात के निस्तारण से पूर्व सहकारी भूमि विकास बैकं को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है।

12. अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे वादीगण के रूप मे भोजा व श्रीमती गलकू दर्ज रेकार्ड है जबकि वाद पत्र पर अकेले भोजराज के ही हस्ताक्षर है श्रीमती गलकू के कोई हस्ताक्षर अथवा निशानी वाद पत्र पर अंकित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी की ओर से अधिवक्ता को दिये गये अधिकार पत्र पर भी श्रीमती गलकू के हस्ताक्षर एवं निशानी नहीं है। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। जो समर्थन योग्य नहीं है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. प्रकरण में यदि रामचन्द्र आत्मज गैना ला औलाद फौत हुआ है ऐसी स्थिति मे रामचन्द्र के हक हिस्से का विरासत से इन्द्राज धन्ना भूरा एवं गोरधन के मध्य बराबर बराबर का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया जिसमें रामा पिता गोरधन को 1/7 हक हिस्से से खातेदार दर्ज रेकार्ड किया गया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने रामा को खमाण के यहॉ गोद जाने का कथन अंकित किया है। रामा या तो अपने पिता गोरधन के पुत्र के रूप में विरासत से खातेदारी अधिकार अपने पिता की आराजियात मे पाने का अधिकारी है या फिर गोद पुत्र के रूप में खमाण के हिस्से को प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य मे समुचित अवलोकन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से यह तथ्य जाहिर नहीं हुआ है कि गैना की मृत्यु के उपरान्त गैना के विधिक वारिसान में भूरा को क्या प्राप्त हुआ है इसके बारे में वादीगण ने कोई कथन नहीं किया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के पक्ष में मात्र एक दस्तावेज सजरा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत दांतडा पंचायत समिति आसीन्द (भीलवाडा) प्रस्तुत किया गया है। जिस अनुसार भी पारिवारिक विरासत अनुसार स्थिति स्पष्ट नही होती है । भूरा पुत्र गैना के विधिक वारिसान बाबत कोई विवेचन नहीं है, तथा गोरधन पुत्र गैना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की विधिक विरासत में रामा, भोजराज व गलकू की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। यदि कथन वादीगण अनुसार रामा के साथ–साथ गोरधन व गलकू को खमाण की विरासत में हिस्सा दिया जावे, तो गोरधन पुत्र गैना की खातेदारी भूमि के हक अधिकार भी रामा, गोरधन व गलकू में निर्धारित होंगे। परन्तु गोरधन पुत्र गैना की खातेदारी भूमि बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वाद में हिस्सा निर्धारण हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत मुख्य दस्तावेज सजरा जो कि सरपंच ग्राम पंचायत दांतडा (आसीन्द) द्वारा जारी जारी किया गया है के पूर्ण विवेचन उपरान्त पाया जाता है कि Succession to teanants (धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत Succession की उचित व्याख्या नहीं की गई है। वादीगण को Clean hands के साथ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हिस्सा निर्धारण कर व समस्त आवश्यक तथ्य प्रस्तुत कर उपस्थित होना चाहिये था। परन्तु वादीगण द्वारा विरासत के हिस्सों का सही अंकन नहीं किया, अन्य वारिसान के हक हिस्सों का निर्धारण नहीं कराया, गोरधन के हक हिस्से की विरासत का अंकन नहीं किया तथा वाद पत्र/वकालत नामे पर गलकू के हस्ताक्षर नहीं कराये। गलकू के हस्ताक्षर के अभाव में गलकू को अंकित कर प्रस्तुत वादपत्र व वकालत नामा सम्पूर्ण नहीं होने से अनुतोष डिफेक्टिव हो जाता है। जिस अनुसार जारी अपीलाधीन आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता ।

14. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 3.10.2012 को निरस्त किया जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. निर्णय आज दिनांक 20.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/375/2012

उनवान

1. मांगी लाल पिता रामा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. भैरू पिता हरू गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. गंगाराम पिता रामा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. श्रीमती नानी देवी पत्नी रामा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा (नाम डिलिट 19.12.2017)

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. भोजाराम पिता गोरधन गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. श्रीमती गलकु देवी गेलड संतान गोरधन गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द (नाम डिलिट 19.12.17)
3. शंभू पिता रामा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. हरदेव पिता नंदा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. मेवा पिता नंदा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
6. जसू पुत्री नंदा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
7. कंकु पुत्री नंदा गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
8. उदा पिता जगू गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
9. बरजी पत्नी जगू गुर्जर निवासी बागा का खेडा तहसील आसीन्द (नाम डिलिट दिनांक 19.12.2017)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. उप पंजीयक, आसीन्द
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 135/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.10.2012

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/375/2012** मे **उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 20.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल बापना वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री ए एल आगाल राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 20.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 3.10.2012 को निरस्त किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 20.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस